

E-mail

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक एफ 42(7)ग्रावि/नरेगा/निरी./2014

जयपुर दिनांक

23 JUL 2014

समरूप जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
(राजस्थान)।

विषय:- निरीक्षणकर्ताओं के रवाना होने की सूचना सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं
विकास अधिकारियों द्वारा एसएमएस भेजने एवं ब्लॉक व जिले की संकलित
रिपोर्ट मेल द्वारा भिजवाने के संबंध में।

प्रसंग :- इस विभाग का पत्र क्रमांक एफ-4(29)ग्रावि/नरेगा/निरी./2014 दिनांक 7.7.14

महोदय,

विभागीय सम संचयक पत्र दिनांक 29.12.09 एवं 07.07.14 का अवलोकन करें, जिनके
द्वारा नरेगा योजनान्तर्गत नार्मस निर्धारित करते हुए, निरीक्षण व्यवस्था प्रभावी एवं व्यवस्थित करने के
निर्देश दिये गये थे।

दिनांक 7.7.14 को जारी प्रांसगिक निर्देशों की निरन्तरता में निर्देशित किया जाता है कि राज्य
मानसून आने के बाद नरेगा कार्यों का समय प्रातः 9.00 बजे से सायं 5.00 बजे हो गया है, अतः
प्रत्येक मंगलवार को प्रातः 8.30 से पूर्व जिला स्तरीय निरीक्षणकर्ता जिला परिषद में तथा सभी ब्लॉक
स्तरीय निरीक्षणकर्ता संबंधित पंचायत समिति में एकत्रित हों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं विकारा
अधिकारी द्वारा संक्षिप्त ब्रिफिंग के पश्चात निरीक्षण किये जाने वाले कार्य स्थलों की सूची इन
अधिकारीगणों को सौंपी जाये। इन अधिकारीगणों के निरीक्षण हेतु प्रस्थान करने के पश्चात इनका
संख्या एवं इनके रवाना होने की सूचना संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं विकास अधिकारी द्वारा
प्रातः 8.30 बजे तक मोबाईल नम्बर-9828596446 पर एस.एम.एस. द्वारा दी जाये। प्रत्येक पंचायत
समिति इन निरीक्षणों की रिपोर्ट सायं 3.00 बजे तक निर्धारित प्रपत्र में जिला परिषद व मुख्यालय को
ई-मेल से भेजे व प्रत्येक जिला परिषद द्वारा सम्पूर्ण जिले की संकलित रिपोर्ट
nrega.raj@gmail.com सायं 5. बजे तक अनिवार्य रूप से भिजवाई जाए।

जैसाकि आपको विदित है कि प्रत्येक शुक्रवार को पंचायत दिवस का आयोजन किया जा रहा है,
अतः प्रत्येक शुक्रवार को पंचायत दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के साथ साथ क्षेत्र भ्रमण में नरेगा
कार्यों का आवश्यक रूप से निरीक्षण किया जावे एवं निरीक्षण रिपोर्ट उपर पैरा में वर्णित अनुसार
कार्यवाही करते हुए आवश्यक रूप से ई-मेल द्वारा भिजवाई जाए। इन संकलित सूचनाओं की हाई
कॉपी राज्य स्तर पर भिजवाने की आवश्यकता नहीं है।

भविष्य में प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है।

जिला स्तर पर अधिकारियों/कार्मिकों के महानरेगा कार्यों के निरीक्षण के नार्मस विभागीय सम
संचयक पत्र दिनांक 29.12.2009 में दिये हुए है, जो संलग्न कर प्रेषित है। इन निर्देशों के अनुसार
किये गये नरेगा कार्य निरीक्षण की रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में पूर्ति की जाकर अपने निर्धारित उच्चाधिकारी
को आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जानी है। इसी प्रकार बिना सूचना किये जाने वाले निरीक्षणों (Surprise
Inspections) की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी।

अतः आप प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को उक्तानुसार नरेगा कार्यों का निरीक्षण करने व
सूचना हेतु समरूप अधिकारीगण को पाबन्द करने की व्यवस्था करावें।
संलग्न-उपरोक्तानुसार ।

(डॉ समित शर्मा)
आयुदत, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एंव परावि, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
3. निजि सचिव, आयुक्त, ईजीएस, जयपुर।
4. अतिरिक्त आयुक्त, (प्रथम) ईजीएस एंव नोडल अधिकारी, 'टाइम्स सॉफ्टवेयर' ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय, महानरेगा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
6. समस्त अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एंव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद. राज।
7. समस्त कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राज.
8. रक्षित पत्रावली।

५०५

परि.निदे.एंव उप सचिव, ईजीएस

जिला स्तरीय अधिकारियों के निरीक्षण मापदण्ड

1.	जिला कार्यक्रम समन्वयक (जिला कलेक्टर)	प्रतिमाह 10 कार्य, प्रति तिमाही एक पंचायत समिति कार्यालय का निरीक्षण
2.	अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक (मुख्य कार्यकारी अधिकारी)	प्रतिमाह 12 कार्य एंव प्रति दो माह में एक पंचायत समिति कार्यालय एंव प्रतिमाह दो ग्राम पंचायत कार्यालयों का निरीक्षण
3.	अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक – प्रथम (मुख्य कार्यकारी अधिकारी)	प्रतिमाह 15 कार्य एंव प्रति दो माह में एक बार कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण, तीन पं. सं. की तीन ग्राम पंचायत कार्यालयों में रेकार्ड का निरीक्षण
4.	अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी	प्रतिमाह 15 कार्य प्रति दो माह में एक पं.सं. कार्यालय एंव प्रत्येक माह तीन ग्रा.पं. कार्यालय का निरीक्षण
5.	परियोजना अधिकारी, लेखा	प्रतिमाह एक पं.सं., P.O. कार्यालय एंव एक ग्राम पंचायत का निरीक्षण
6.	लेखा अधिकारी, जिला परिषद	प्रतिमाह दो पंचायत समिति कार्यालय एंव एक ग्राम पंचायत का निरीक्षण एंव सामग्री भुगतान की जांच
7.	सहायक लेखा अधिकारी	प्रतिमाह दो पंचायत समिति एंव एक ग्राम पंचायत में समायोजन की प्रगति सुनिश्चित करना
8.	अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस	प्रतिमाह कम से कम तीन पंचायत समितियों की 15 ग्राम पंचायतों के 20 कार्य एंव प्रत्येक माह दो ग्राम पंचायत कार्यालयों में रेकार्ड का निरीक्षण
9.	अधिशाषी अभियंता (अभि.)	प्रतिमाह कम से कम तीन पंचायत समितियों की 15 ग्राम पंचायतों के 20 कार्य एंव प्रत्येक माह दो ग्राम पंचायत कार्यालय में रेकार्ड का निरीक्षण
10	अधिशाषी अभियंता (एल.आर.)	प्रतिमाह कम से कम तीन पंचायत समितियों की 15 ग्राम पंचायतों के 20 कार्य एंव प्रत्येक माह दो ग्राम पंचायत कार्यालय में नरेगा रेकार्ड का निरीक्षण
11.	सहायक अभियंता, पंचायत समिति जिला परिषद	प्रतिमाह 15 ग्राम पंचायतों के 20 कार्यों का निरीक्षण एंव प्रति माह 3 ग्राम पंचायत कार्यालयों के रेकार्ड का निरीक्षण
12.	जिला समन्वयक (प्रशि.)	प्रतिमाह कम से कम 2 पंचायत समिति की दो ग्राम पंचायतों में प्रशिक्षण सुनिश्चित कराना
13.	जिला समन्वयक (आईईसी)	प्रतिमाह कम से कम चार पंचायत समितियों के चार कार्यों की सफलता की कहानियों का संकलन आदि करवाना
14.	जिला समन्वयक (पर्यवेक्षण)	प्रतिमाह तीन पंचायत समितियों के कम से कम पांच कार्यों का निरीक्षण एंव अधिकारियों का मासिक निरीक्षण प्रतिवेदन जिला कलेक्टर एंव कार्यक्रम समन्वयक के समक्ष रखना ।

ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के निरीक्षण मापदण्ड

1.	कार्यक्रम अधिकारी कम विकास अधिकारी	प्रतिमाह 15 ग्राम पंचायतों में 20 कार्य एंव प्रति चार माह में एक बार पंचायत समिति कार्यालय का निरीक्षण एंव प्रत्येक माह तीन ग्राम पंचायत कार्यालयों के समस्त बिन्दुओं पर निरीक्षण
2.	कार्यक्रम/सहायक कार्यक्रम अधिकारी	प्रतिमाह 20 ग्राम पंचायतों के 30 कार्य एंव प्रत्येक माह तीन ग्राम पंचायत कार्यालयों में निरीक्षण
3.	सहायक अभियंता, प.सं./जिला परिषद	प्रतिमाह 15 ग्राम पंचायतों के 20 कार्य एंव प्रत्येक माह तीन ग्राम पंचायत कार्यालयों के रेकार्ड का निरीक्षण
4.	पंचायत प्रसार अधिकारी	प्रतिमाह 5 ग्राम पंचायतों में 10 कार्य एंव माह में 3 ग्राम पंचायतों का विस्तृत निरीक्षण (निजी आय, पट्टा बही, जन्म मृत्यु आदि)
5.	लेखा/कनिष्ठ लेखाकार	प्रतिमाह आवंटित ग्राम पंचायतों की रोकड़ बही, समस्त वित्तीय अनुशासन एंव लेखों का मासिक समायोजन आदि।
6.	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	प्रतिमाह प्रगतिरत समस्त कार्यों का प्रथम 10 दिवस में न्यूनतम एक बार तकनीकी एंव प्रशासनिक विस्तृत निरीक्षण एंव आवंटित ग्राम पंचायतों में हर बार एक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मेट का प्रशिक्षण एंव क्य सामग्री एंव बिल का सत्यापन
7.	लेखा सहायक	हर पखवाड़े में एक बार आवंटित ग्राम पंचायतों के लेखों की जांच एंव अन्य वित्तीय कार्य

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-३)



क्रमांक:-एफ-४(२९)आरडी/नरेगा/पार्ट-ग/निरी/०९-१० जयपुर, दिनांक : २९ DEC 2009

जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस)
एवं जिला कलेक्टर
समस्त(राजस्थान)।

विषय :- जिले में निरीक्षण व्यवस्था को प्रभावी एवं व्यवस्थित करने बाबत।

प्रसंग :- इस विभाग के समसंबंधीक पत्र दिनांक २२.३.२००७ एवं ४.११.२००९

महोदय,

उक्त प्रायोगिक विषयान्तर्गत जारी निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि अनेक स्थानों पर वरिष्ठ अधिकारियों सहित विकास एवं कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा अपने कार्यकाल में ग्राम पंचायतों का विस्तृत निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित को भेजकर त्वरित अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं करने से ग्राम पंचायतों द्वारा अपंजीकृत फर्मों को नकद भुगतान कर निर्माण सामग्री कद्य करने एवं अधिक राशि के सदुपयोग व समायोजन नहीं होने जैसी गम्भीर शिकायते प्राप्त हुई हैं। पर्यवेक्षणीय उपेक्षा करने वाले इन अधिकारियों के विरुद्ध जिला स्तर से प्रभावी कार्यवाही नहीं किये जाने से ग्राम पंचायत कार्यालय नियमित रूप से नहीं खुलते हैं एवं प्रशासनिक तंत्र में राज्य सरकार द्वारा वांछित गुणवत्ता एवं सेवा स्तर विकसित नहीं हो पाया है।

अनेक अधिकारियों द्वारा निर्धारित नार्मस अनुसार प्रभावी निरीक्षण के स्थान पर केवल लक्ष्य अर्जित करने के लिए निरीक्षण किये गये हैं एवं निरीक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं, असत्य आचरण एवं श्रुटियों की जानकारी होने के पश्चात भी सम्बन्धित कार्यकारी संरथाओं एवं ग्राम पंचायतों के विरुद्ध प्रभावी एवं समयबद्ध त्वरित अनुशासनात्मक कार्यवाही कर दण्डादेश पारित करने के स्थान पर मात्र नोटिस देकर प्रकरण समाप्त किये गये हैं।

नरेगा एवं ग्रामीण विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये कार्यकारी उपेक्षीयों के विभिन्न जिला एवं खण्ड स्तरीय एवं क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह निर्माण कार्यों, निर्माण कार्यों की पत्रावलियों, रोकड़ वही, निधि प्रबन्धन सहित पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालयों एवं रिकॉर्ड का नियमित विरीक्षण किया जावे। प्रभावी निरीक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने, निरीक्षण में पाई गई कमियों की पुनरावृति रोकने एवं दोषियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करने के क्रम में पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के अधिक्रमण (नवगतेमेपवद) में निम्न निर्देश दिये जाते हैं :-


- प्रतिमाह निर्धारित नार्मस अनुसार (परिशिष्ट-निरीक्षण-१) नरेगा के कार्यों, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत में नरेगा से सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यवस्थाओं एवं प्रणति का गहनता से एवं नियमित निरीक्षण किया जावे। यह भी उल्लेखनीय है कि निर्धारित नार्मस के अनुसार नियमित मासिक निरीक्षण नहीं करने पर उस माह के अवशेष निरीक्षण लक्ष्यों की पूर्ति आगामी माह में किया जाना अनुचित है।
- वर्ष २०१० में उक्त नार्मस के अनुसार प्रति माह किये जाने वाले मासिक निरीक्षणों एवं फॉलोअप कार्यवाही का कलेण्डर मार्च माह की १० तारीख तक आवश्यक रूप से तैयार कर लिया जावे तथा इसकी एक प्रति आयुक्त, नरेगा को परिशिष्ट-१ (क) एवं परिशिष्ट-१ (ख) में प्रेषित की जावे। निरीक्षण कार्यक्रम इस प्रकार से निर्धारित किया जावे कि किसी एक पंचायत अथवा पंचायत समिति का वर्ष में एक बार से अधिक सुनियोजित निरीक्षण नहीं हो। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि किसी पंचायत/पंचायत समिति/कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण, शिकायत आधारित निरीक्षण एक से अधिक बार किया जा सकता है। उचित होगा कि मासिक लक्ष्य अनुसार जिला कलेक्टर द्वारा स्वयं विवरण के स्तर पर बरेगा के परिपेक्ष्य में प्रत्येक माह की ५ तारीख तक अधिकारियों को उस माह के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार निरीक्षण,

कार्यालय/पंचायत/पंचायत समिति नामित करे, जिससे की निरीक्षण के समय वास्तविक रियति ज्ञात हो सके। इस कार्य हेतु नरेगा जिला समन्वयक (निगरानी) को प्रभारी बनाया जावे। रोटेशन के आधार पर मासिक कलेण्डर इस तरह तैयार किया जावे कि निर्धारित लक्ष्यानुसार निरीक्षण के साथ-साथ प्रत्येक पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत का एक बार सघन निरीक्षण एवं फॉलोअप कार्यवाही हो जावे।

3. इस कलेण्डर के अनुसार निरीक्षणों की नरेगा की मासिक बैठक में नियमित समीक्षा की जावे, एवं दोषियों के विलद्व अपेक्षित एवं समयबद्ध कार्यवाही न करने की रियति में सम्बन्धित नियंत्रणकर्ता अधिकारी (विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी) के विलद्व समुचित कार्यवाही की जावे।
4. किये गये निरीक्षणों का अंकन कार्य स्थल पुस्तिका में भी किया जावे।
5. निरीक्षण तिथि के पश्चात 2 दिवस में संबंधित कार्यकारी संस्था एवं अगले उच्चाधिकारी को निरीक्षण प्रतिवेदन भिजवाया जाकर एक माह में निरीक्षण प्रतिवेदन की समग्र पालना प्राप्त की जावे। कार्यों के निरीक्षण के लिये परिशिष्ट-निरीक्षण-2, पंचायत समिति कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय के निरीक्षण के लिये परिशिष्ट निरीक्षण-3 एवं ग्राम पंचायत कार्यालय के निरीक्षण के लिये परिशिष्ट निरीक्षण-4 में निहित बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए निरीक्षण किया जावे। इन बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य आवश्यक बिन्दुओं को भी निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जावे।
6. निरीक्षण में पाई गई अनियमितताओं एवं शिथिलताओं के लिये दोषी कार्मिकों पर तत्काल ठेस कार्यवाही कर दण्ड का निर्धारण कर की गई कार्यवाही का व्यापक प्रसार भी किया जावे ताकि इस तरह का कृत्य करने अथवा कृत्य करने की मंशा रखने वाले अन्य कार्मिकों को सब्देश मिल सके। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता करने वाले अथवा वित्तीय अनियमितता करने की मंशा से कार्य करने वाले कार्मिकों के विलद्व एफआईआर भी दर्ज करवाई जावे।
7. निर्धारित नार्स अनुसार स्पष्ट व प्रभावी निरीक्षण नहीं करने वाले अधिकारियों के विलद्व समुचित कार्यवाही अमल में लाई जावे एवं इसका अंकन उनके वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में भी किया जावे।
8. माह के अंत में निरीक्षण से संबंधित यूक्ताएं परिशिष्ट निरीक्षण-5 प्रारूप में जिला समन्वयक (निगरानी) द्वारा संकलित की जाकर मासिक समीक्षा रिपोर्ट आपके मार्फत इस कार्यालय को भिजवाई जावे।

भवदीय,

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।



(सी.एस. राजन)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, मा. मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. जिला प्रभारी सचिव, समस्त को भेजकर अनुरोध है कि जिले में भ्रमण के दौरान योजनाओं की समीक्षा के साथ-साथ निरीक्षण की प्रगति की भी उक्त प्रारूप में समीक्षा करने का श्रम करें। आप द्वारा किये जा रहे कार्यों के निरीक्षण की सूचना भी संलग्न निरीक्षण प्रपत्र में भिजवाने का श्रम करावे।
3. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला परिषद को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश की प्रति सभी सम्बन्धित को उपलब्ध करवाकर पालना सुनिश्चित करावे।
4. समस्त परियोजना निदेशक एवं उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

29/12/09
परियोजना निदेशक, ईजीएस

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं पंचायती राज नियम, 1996
अंतर्गत अधिकारियों के निरीक्षण के मापदण्ड

क्र.सं.	नाम अधिकारी	माह में किये जावे वाले न्यूनतम निरीक्षणों की संख्या	निरीक्षण रिपोर्ट जहां प्रस्तुत की जानी है	विशेष विवरण
1	जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक	10 कार्य (एक पंचायत समिति में अधिकतम 3 कार्य)	प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पंचा. राज विभाग	प्रति तिमाही में एक बार एक पंचायत समिति कार्यालय का निरीक्षण भी किया जावे
2	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	12 कार्य (एक पंचायत समिति में अधिकतम 4 कार्य)	प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पंचा. राज विभाग एवं प्रतिलिपि जिला कलेक्टर को भी दी जावे	प्रति दो माह में एक बार एक पंचायत समिति कार्यालय का निरीक्षण एवं प्रत्येक माह तीव्र पंचायत समितियों की तीव्र ग्राम पंचायत कार्यालयों में योजवा के रिकार्ड का निरीक्षण भी किया जावे। दो माह में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जिस प.समिति में निरीक्षण किया गया है, उसको छोड़कर जिले की अन्य प.स. में निरीक्षण किया जावे।
3	अतिथिक जिला कार्यक्रम समन्वयक	15 कार्य (एक पंचायत समिति में अधिकतम 4 कार्य)	प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पंचा. राज विभाग एवं प्रतिलिपि जिला कलेक्टर को भी दी जावे	प्रति दो माह में एक बार कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण एवं प्रत्येक माह तीव्र पंचायत समितियों का निरीक्षण भी किया जावे। माह में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जिस प.समिति में निरीक्षण किया गया है, उसको छोड़कर जिले की अन्य प.स. में निरीक्षण किया जावे।
4	अतिथिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी	15 कार्य (एक पंचायत समिति में अधिकतम 4 कार्य)	प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पंचा. राज विभाग एवं प्रतिलिपि जिला कलेक्टर को भी दी जावे	प्रति दो माह में एक बार एक पंचायत समिति कार्यालय का निरीक्षण एवं प्रत्येक माह तीव्र ग्राम पंचायत कार्यालयों का निरीक्षण भी किया जावे। माह में मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा जिस प.समिति में निरीक्षण किया गया है, उसको छोड़कर जिले की अन्य प.स. में निरीक्षण किया जावे।
5	परियोजना अधिकारी, लेखा	माह में एक पंचायत समिति में कार्यक्रम अधिकारियों के कार्यालय में एवं एक ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर बरेगा टेकड बही, बैंक स्टेटमेंट, जारी अधिग्राम राशि के विरुद्ध समायोजन की प्रगति सुनिश्चित करना।	जिला कलेक्टर को, प्रतिलिपि अतिथिक जिला कार्यक्रम समन्वयक को भी दी जावे।	बरेगा आपरेशब्ल गार्डन लाईन, 2008 के अध्याय-४ के दिशा विर्देशानुसार कार्यक्रम अधिकारी द्वारा विधि प्रबंधन संबंधी समस्त वित्तीय अनुशासन, कार्यक्रम अधिकारी, लाईन दिग्गजों एवं मुख्य पोस्ट अफिस को जारी अधिग्राम राशि का मासिक समायोजन सुनिश्चित करवा। ग्राम पंचायत स्तर पर संघारित बरेगा कार्यों के असेट कम कुमुलेटिव एक्सप्रेण्डर रजिस्टर का पालिक अपडेशन सुनिश्चित करवावा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं पंचायती राज नियम, 1996 अंतर्गत अधिकारियों के निरीक्षण के आपदण्ड

क्र. सं.	नाम अधिकारी	माह में किये जाने वाले व्यूबतम निरीक्षणों की संख्या	निरीक्षण रिपोर्ट जहां प्रस्तुत की जाती है	विशेष विवरण
6	लेखा अधिकारी, जिला परिषद	माह में 2 पंचायत समिति कार्यालय एवं एक ग्राम पंचायत में जाकर पं. समिति की रोकड़ बही एवं नरेगा रोकड़ बही, बैंक स्टेटमेंट, जारी अधिम राशि के विस्तृत समायोजन की प्रगति सुनिश्चित करना।	ग्रुप्प कार्यकारी अधिकारी को प्रतिलिपि अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को भी दी जावे। पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत के लेखों के सम्बन्ध में निरीक्षण की प्रति अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भी दी जाये।	जीएफएण्डएआर, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अध्याय-11 के नियम, 183 से 255 अनुसार ग्राम पंचायत एवं पं. समिति के लेखों का संघारण, पट्टा बही, रसीद बुक का सत्यापन एवं नरेगा आपरेशनल गार्ड लाईन, 2008 के अध्याय-8 के दिशा निर्देशानुसार निरीक्षण
7	सहायक लेखाधिकारी	माह में दो पंचायत समिति में कार्यक्रम अधिकारियों के कार्यालय में एवं एक ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर नरेगा रोकड़ बही, बैंक स्टेटमेंट, जारी अधिम राशि के विस्तृत समायोजन की प्रगति सुनिश्चित करना।	जिला कलेक्टर को, प्रतिलिपि अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को भी दी जावे।	नरेगा आपरेशनल गार्ड लाईन, 2008 के अध्याय-8 के दिशा निर्देशानुसार कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निधि प्रबंधन संबंधी समस्त वित्तीय अनुशासन, कार्यक्रम अधिकारी, लाईन विभागों एवं मुख्य पोस्ट ऑफिस को जारी अधिम/रिवोल्विंग राशि लेखों का मासिक समायोजन सुनिश्चित करना। ग्राम पंचायत स्तर पर संथारित नरेगा कार्यों के असेट कम कुमुलेटिव एक्सपेण्डीचर रजिस्टर का पाकिक अपडेशन एवं पंचायत कार्यालय के नियमित खुलने सम्बन्धी बिक्कुओं के मद्देनजर विस्तृत विरीक्षण किया जावे।
8	विकास अधिकारी	<u>15 ग्राम पंचायतों में 20 कार्य</u>	मुख्य कार्यकारी अधिकारी को, प्रतिलिपि अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को भी दी जावे।	प्रति चार माह में एक बार पंचायत समिति कार्यालय का निरीक्षण एवं प्रत्येक माह तीन ग्राम पंचायत कार्यालयों ता सामाजिक सेवा विस्तार, माप पुस्तिका इन्ड्राज गुणवत्ता, लम्बित पूर्णता प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड सत्यापन, दीवारों पर सूचना प्रदर्शन, नरेगा रिवोल्विंग फण्ड एवं वित्तीय अनुशासन, नरेगा कार्यों के असेट कम कुमुलेटिव एक्सपेण्डीचर रजिस्टर का पाकिक अपडेशन एवं पंचायत कार्यालय के नियमित खुलने सम्बन्धी बिक्कुओं के मद्देनजर विस्तृत विरीक्षण किया जावे।
9	कार्यक्रम/ सहायक कार्यक्रम अधिकारी/	20 ग्राम पंचायतों के 30 कार्य	जिला कलेक्टर को, प्रतिलिपि अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को भी दी जावे।	प्रत्येक माह तीन ग्राम पंचायत कार्यालयों में समस्त वर्क फाईल, सामग्री क्रय, नरेगा रोकड़ बही, सूचना प्रदर्शन, रिवोल्विंग फण्ड एवं वित्तीय अनुशासन, नरेगा कार्यों के असेट कम कुमुलेटिव एक्सपेण्डीचर रजिस्टर का पाकिक अपडेशन एवं पंचायत कार्यालय के नियमित खुलने सम्बन्धी बिक्कुओं सहित विस्तृत निरीक्षण किया जावे।
10	अधिशासी अभियंता, ईजीएस	कम से कम तीन पं. समितियों की 15 ग्राम पंचायतों के 20 कार्य	जिला कलेक्टर को, प्रतिलिपि अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को भी दी जावे।	प्रत्येक माह दो ग्राम पंचायत कार्यालयों में समस्त वर्क फाईल, सामग्री क्रय, नरेगा रोकड़ बही, मापपुस्तिका के इन्ड्राजों की ट्राउण्टर चैकिंग एवं बोजना के रिकार्ड का निरीक्षण भी किया जावे।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं पंचायती राज नियम, 1996
अंतर्गत अधिकारियों के निरीक्षण के मापदण्ड

क्र. सं.	नाम अधिकारी	माह में किये जाने वाले व्यूनिटम निरीक्षणों की संख्या	निरीक्षण रिपोर्ट जहां प्रस्तुत की जानी है	विशेष विवरण
11	अधिशासी अभियंता, (अमि.)	कम से कम तीन पं. समितियों की 15 ग्राम पंचायतों के 20 कार्य	जिला कलेक्टर को, प्रतिलिपि अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को भी दी जावे।	प्रत्येक माह दो ग्राम पंचायत कार्यालयों में बरेगा एवं ग्रामीण विकास की समस्त घर्क फर्माइल, सामग्री क्रय मापपुरितका के इन्द्राजों की काउण्टर थेविंग, सामान्य एवं बरेगा रोकड वही एवं रिकार्ड का निरीक्षण भी किया जावे।
12	अधिशासी अभियंता, (एल.आर.)	कम से कम तीन पं. समितियों की 15 ग्राम पंचायतों के 20 कार्य	जिला कलेक्टर को, प्रतिलिपि अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को भी दी जावे।	प्रत्येक माह दो ग्राम पंचायत कार्यालयों में बरेगा एवं ग्रामीण विकास की समस्त घर्कफर्माइल, सामग्री क्रय, सामान्य एवं बरेगा रोकड वही, माप पुरितका एवं रिकार्ड का निरीक्षण भी किया जावे।
13	जिला समन्वयक (प्रशिक्षण)	कम से दो पं.समितियों में भेटों के ग्राम पंचायत बलस्टर मुख्यालय की दो ग्राम पंचायतों में जेटीए के साथ भेट प्रशिक्षण सुनिश्चित करना	जिला कलेक्टर को, प्रतिलिपि अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को भी दी जावे।	राज्य सरकार के परिपत्रों का विषयवार संकलन एवं अध्ययन। प्रशिक्षण के लिए स्वयं लगातार कार्य स्थलों का निरीक्षण कर स्वयं को तकनीकी गुणवत्ता, माप पुस्तिका पन्न, एम.आर.एस. कम्प्यूटर का ज्ञान एवं लेखा प्रक्रिया के संबंध में अपेक्षित रखेंगे ताकि प्रशिक्षण का कार्य दक्षतापूर्वक किया जावे।
14	जिला समन्वयक (आई.ई.सी.)	कम से कम चार पं. समितियों के चार कार्यों की सफलता की कहानियों का संकलन, डोक्यूमेंटेशन एवं जीडिया में प्रकाशन करवाना।	जिला कलेक्टर को, प्रतिलिपि अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को भी दी जावे।	बरेगा वैब साईट के समस्त डोमेन (वि शेषतया शिकायत निवारण डोमेन) में दक्षता विकसित कर सूचनाओं का इलेक्ट्रोनिक साफ्टप्रॉति में प्रो एविट्य डिस्कलोजर करवाकर बरेगा के अंतिम लाभार्थी की शिकायत दर्ज करवाना व समाधान करवाना।
15	जिला समन्वयक (विग्राही)	तीन पंचायत समितियों के कम से कम पांच कार्यों का निरीक्षण	कम से कम दो पं. समितियों से संबंधित बरेगा वैबसाईट की अलाइट एवं अनियमितता डोमेन का पंचायत समितिवार रिपोर्ट तैयार कर जिला कलेक्टर को उपलब्ध करवाना।	बरेगा एक अनुसूची-1 के पैरा-13 में अंकित प्रक्रिया अनुसार सामाजिक अंकेशण हेतु पंचायत समितियों की कमता संबद्धि का कार्य करना, समस्त अधिकारियों के जासिक निरीक्षणों की समीक्षा हेतु जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
16	सहायक अभियंता, पंचायत समिति/ जिला परिषद	15 ग्राम पंचायतों में 20 कार्य	विकास अधिकारी को, प्रतिलिपि कार्यक्रम अधिकारी को भी दी जावे। जिला परिषद के सहायक अभियंता अपना निरीक्षण प्रतिवेदन एडीपीसी को प्रस्तुत करते हुए प्रतिलिपि कार्यक्रम अधिकारी को देंगे।	प्रत्येक माह तीन ग्राम पंचायत कार्यालयों के रिकार्ड का कार्य की गुणवत्ता, सामग्री के बिल बाउचर्स एवं माप पुरितका इन्द्राज का भौतिक सत्यापन एवं वित्तीय अनुशासन को केन्द्र बिन्दु रखते हुए विस्तृत निरीक्षण भी किया जावे।
17	पंचायत प्रस्तार अधिकारी	5 ग्राम पंचायतों में 10 कार्य एवं माह में 3 ग्राम पंचायतों का विस्तृत निरीक्षण	विकास अधिकारी को, नरेगा कार्यों के निरीक्षण की प्रतिलिपि कार्यक्रम अधिकारी को भी दी जावे।	पंचायती राज की समस्त योजनाओं, जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीयन, पन्नाधार्य योजना, नामान्तरकरण, निजी आय, पट्टा वही को केन्द्र बिन्दु रखते हुए

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं पंचायती राज नियम, 1996
अंतर्गत अधिकारियों के निरीक्षण के मापदण्ड

क्र. सं.	जाग अधिकारी	माह में किये जाने वाले व्यूबलतम निरीक्षणों की संख्या	निरीक्षण रिपोर्ट जड़ां प्रस्तुत की जानी है	विशेष विवरण
18	लेखाकार/ कविष्ठ लेखाकार	आवंटित ग्राम पंचायतों की नरेगा रोकड़ बही का हर पञ्चवाहे में एक बार सत्यापन करना	कार्यक्रम अधिकारी को प्रतिलिपि विकास अधिकारी को भी दी जायेगी।	नरेगा आपरेशनल गाइड लाईन, 2008 के अध्याय-8 के दिशा निर्देशानुसार ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाये गये रिवोल्विंग फण्ड, अग्रिम एवं नियि प्रबंधन संबंधी समस्त वित्तीय अनुशासन एवं लेखों का मासिक समायोजन सुनिश्चित करना, ग्राम पंचायत स्तर पर संथारित नरेगा कार्यों के असेट कम कुमुलेटिव एक्सप्रेण्डीघर रजिस्टर का पाकिक अपडेशन सुनिश्चित करना।
19	जेटीए	आवंटित ग्राम पंचायत क्षेत्र के समस्त प्रगतिशील कार्यों का पञ्चवाहे के प्रथम 10 दिवस में ही व्यूबलतम एक बार विस्तृत तकनीकी एवं प्रशासनिक निरीक्षण। प्रत्येक कार्य स्थल पर कार्य स्थल पुस्तिका समस्त प्रपत्रों आदिनांकिरण एवं वियामित संधारण सुनिश्चित करना एवं विरीक्षण प्रपत्र में वियामिति अंकन करना।	यहायक अभियंता के प्रति हस्ताक्षर करवाकर कार्यक्रम अधिकारी को	स्वयं को आवंटित ग्राम पंचायतों के क्लस्टर में से बारी बारी से एक पंचायत मुख्यालय पर प्रत्येक गुरुवार को जेटों को माप पुस्तिका एवं माप का निरन्तर प्रशिक्षण एवं करेगा कार्यों पर क्रय की गई सामग्री एवं बिल सत्यापन।
20	लेखा सहायक	आवंटित ग्राम पंचायतों की नरेगा रोकड़ बही का हर पञ्चवाहे में एक बार सत्यापन करना	कार्यक्रम अधिकारी को	नरेगा आपरेशनल गाइड लाईन, 2008 के अध्याय-8 के दिशा निर्देशानुसार ग्राम पंचायत को उपलब्ध करवाये गये रिवोल्विंग फण्ड, अग्रिम एवं नियि प्रबंधन संबंधी समस्त वित्तीय अनुशासन एवं लेखों का मासिक समायोजन सुनिश्चित करना, ग्राम पंचायत स्तर पर संथारित नरेगा कार्यों के असेट कम कुमुलेटिव एक्सप्रेण्डीघर रजिस्टर का पाकिक अपडेशन सुनिश्चित करना।

29/12/09

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, एनआरईजीएस,.....
 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं पंचायती राज नियम, 1996
 अंतर्गत अधिकारियों के माह..... के दौरान किये जाने वाले निरीक्षण का विवरण

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पंचायत की जिनका निरीक्षण जाना है	समिति की संख्या	ग्राम पंचायत की संख्या जिनका निरीक्षण किया जाना है	कार्यों की संख्या
1	जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक				
2	मुख्य कार्यकारी अधिकारी				
3	अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक				
4	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी				
5	परियोजना अधिकारी, लेखा				
6	लेखा अधिकारी, जिला परिषद				
7	अधिशासी अभियंता, ईजीएस				
9	अधिशासी अभियंता, (अभि.)				
10	अधिशासी अभियंता, (एल.आर.)				
11	जिला समन्वयक (प्रशिक्षण)				
12	सहायक लेखाधिकारी				
13	जिला समन्वयक (आई.ई.सी.)				
14	जिला समन्वयक (निगरानी)				
15	सहायक अभियंता,				
16	विकास अधिकारी				
17	कार्यक्रम/सहायक कार्यक्रम अधिकारी/				
18	पंचायत प्रसार अधिकारी				
19	जेटीए				
20	लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार				
21	लेखा सहायक				

(जिला समन्वयक (निगरानी) द्वारा प्रतिभाष तैयार कर जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक को समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाकर विभाग को भेजा जायेगा)

परिशिष्ट निरीक्षण-१ (ख)

नरेगा योजना अंतर्गत किये गये निरीक्षण एवं पाई गई कमियों/ अनियन्त्रिताओं पर की गई कार्यवाही

जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षणों का प्रगति प्रतिवेदन जिला.....माह.....

निरीक्षणकर्ता का नाम	माह के दौरान किये गये निरीक्षण का विवरण	पाई गई प्रमुख अनियन्त्रिताएं	दोषियों के विलम्ब की गई प्रभावी कार्यवाही का विवरण	पूर्व प्रकरणों सहित कुल प्रकरणों की संख्या	निरीक्षण में जिनमें कार्यवाही शेष है	
1	2	3	4	5	6	7
जिला कार्यक्रम समन्वयक						
आति. जिला कार्यक्रम समन्वयक						
आतिस्खित मुख्य कार्यकारी अधिकारी						
अधिशासी अभियंता ईजीएस/एलआर/अभि.						

(जिला समन्वयक (निगरानी) द्वारा प्रतिमाह तैयार कर जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक को समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया जाकर विभाग को भेजा जायेगा)

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना जिला.....के तहत कार्य नियंत्रण दिवांक..... का प्रति

1. ग्राम.....ग्राम पंचायत.....पंचायत समिति.....
 2. ग्राम सेवक का नाम..... कार्यग्रहण तिथि.....
 3. ग्राम पंचायत क्षेत्र मे नरेगा मे अब तक स्थीकृत कार्य..... , आप्रारम्भ कार्य , प्रारम्भ होकर बंद पड़े कार्य.....एवं आदिकांक को प्रगतिरत कार्यों की संख्या.....
 4. अब तक स्थीकृत व्यक्तिगत लाभ के नरेगा कार्यों की संख्या....., पूर्ण कार्यों की संख्या.....
 5. पंचायत मे कुल पंजीकृत परिवारों की संख्या रजिस्टर संख्या 2 के अनुसार....., एमआईएस के अनुसार
 6. इस वित्तीय वर्ष मे नियमित दिनांक तक ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री मे व्यय की गई राशि रु.
... है, इसमे से ऑनलाईन एमआईएस मे फीड राशि रु.....
.... है एवं ग्राम पंचायत के पास असमायोजित राशि रु.पाई गई।
 7. नियमित दिनांक को पंचायत की नरेगा कैशबुक की अन्तिम प्रविष्टि दिनांक.....है एवं कैशबुक शेष रु..... है, बैंक पासबुक शेष रु. है। पंचायत की सामान्य कैशबुक दिनांक.....तक लिखी पाई गई एवं कैशबुक शेष रु.है।

8. क्या क्य की गई सामग्री के बिल पंजीकृत फर्माँ के पाये गये ?	हों	नहीं
9. क्या ग्राम पंचायत में परिसम्पत्ति रजिस्टर को अब तक कार्यवार व्यय राशि का उत्तेज्ज्ञ करते हुए संधारित किया गया है ?	हों	नहीं
10. क्या ग्राम पंचायत में क्य की गई निर्माण सामग्री का स्ट्रॉक रजिस्टर संधारित किया गया है ?	हों	नहीं
11. क्या माह के अन्तिम गुरुवार को पंचायत घर में सभी जॉब कार्डों की जोख कर सत्यापन का कार्य किया जाता है ?	हों	नहीं
12. क्या क्य की गई सामग्री के बिलों को एमआईएस में फीड करवा दिया गया है ?	हों	नहीं
13. क्या ग्राम पंचायत द्वारा गत वित्तीय वर्ष के श्रम व सामग्री व्यय की सूचना राज्य सरकार के दिनांक 20.04.09 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पंचायत घर की दीवारों पर लिखवाई गई है ?	हों	नहीं
14. क्या ग्राम पंचायत की कार्य मेजरमेंट बुक निरीक्षण कर अन्तिम पूँछ पट आप द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं ?	हों	नहीं
15. यदि ग्राम पंचायत की कार्य मेजरमेंट बुक ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं पाई गई तो क्या ग्राम पंचायत में मेजरमेंट बुक मूवमेंट रजिस्टर में अभियंता के एम.बी प्राप्ति के दिनांकित हस्ताक्षर पाये गये ?	हों	नहीं
16. क्या ग्राम पंचायत कार्यालय नियमित रूप से खुलता है ?	हों	नहीं
17. क्या ग्राम पंचायत की अन्तिम बैठक दिनांक..... में व्यय के समस्त बिल वातवर्स पर पंचायत सदस्यों की आपत्ति/अनापत्ति दर्ज कर बैठक प्रतिलिपि विकास अधिकारी को भेजी गई थी ?	हों	नहीं
18. क्या कार्य की निर्माण की गुणवत्ता सन्तोषजनक एवं कार्य जनोपयोगी पाया गया ?	हों	नहीं
19. क्या मेट द्वारा कार्य 5-5 के गुप में श्रमिक नियोजन कर करवाया जा रहा है ?	हों	नहीं
20. क्या जॉब कार्ड में श्रमिकों को किये गये भुगतान का विवरण अंकित है ?	हों	नहीं
21. क्या श्रमिकों को रोजगार मौग प्रपत्र 6 की रसीद दी जाती है ?	हों	नहीं

22. ग्राम पंचायत की अन्तिम बैठक दिनांक..... वार्ड पंचों में से वार्ड पंच उपस्थित थे।	को हुई थी, जिसमें कुल.....
23. निरीक्षण किये गये कार्य का नाम.....
24. कार्यकारी एजेंसी.....	15. कार्य प्रारम्भ होने की तिथि.....
25 कार्यरत मेटसे कार्यरत है।	(नाम) है जो इस कार्य पर दिनांक
26. श्रमिकों का भुगतान माह.....पखवाड़ा प्रथम/द्वितीय तक हो चुका है एवं गत टारक ल.....था।	
27. प्रतिदिन कार्य समाप्ति पर आप कर श्रमिकों को उनकी अर्जित मजदूरी मेट द्वारा बताई हों नहीं जाती है	हों नहीं
28. क्या श्रमिक समूहों द्वारा टारक में छोड़ी गई कमी को मेट द्वारा उसी पखवाडे में दूसरे दिन पूरा करताया जाता है ?	हों नहीं
29 क्या कार्यस्थल पर थीक प्रकार से इन्डाजयुक्त कार्यस्थल पुरितका पाई गई ?	हों नहीं

30. मौके पर पाये गई कुल..... मस्टररोल की कम संख्या.....
31. मस्टररोल में नाम अंकित श्रमिकों की संख्या.....
32. निरीक्षण के समय उपस्थित दिखाये गये श्रमिकों की संख्या
33. वास्तविक उपस्थित श्रमिकों की संख्या..... 34. अन्तर श्रमिक (32-33) मध्य कारण.....
35. कार्य स्थल पर आवश्यक डिसप्ले बोर्ड/ टारक/मेडिकल किट/ पानी/ छाया/पालना में से क्या उपलब्ध नहीं
था
36. जेटीए/अभियंता द्वारा अन्तिम निरीक्षण की दिनांक..... ,ए.एन.एम की निरीक्षण की दिनांक.....
37. मुख्य बिन्दु जिन पर कार्यवाणी अपेक्षित है.....

ग्राम पंचायत का रिकार्ड एवं कार्य सञ्चोषजनक नहीं पाये जाने पर परवेशाणीय लापरवाहीकर्ता पदाधिकारी
का विवरण :

नाम	पदनाम	पदस्थापन तिथि

हस्ताक्षर

नाम निरीक्षणकर्ता.....पदनाम.....

दिनांक-

कमांक :-

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं पालनार्थ (कार्यकारी एजेंसी को एवं निरीक्षणकर्ता के इमिडिएट सुपीरियर अधिकारियो
को)

हस्ताक्षर निरीक्षणकर्ता

पंचायत समिति स्तर पर नरेगा योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय के निरीक्षण में सम्मिलित किये जाने वाले महत्वपूर्ण बिन्दु

निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम			
पंचायत समिति का नाम			
निरीक्षण दिनांक			
वित्तीय वर्ष में अब तक पूर्व निरीक्षणकर्ताओं का विवरण (केवल डीपीसी, एडीपीसी, एसीईओ, अधिशासी अभियंता (ईजीएस) एवं लेखाधिकारी)	निरीक्षण कर्ता का नाम व पदनाम	निरीक्षण की दिनांक	निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने की दिनांक

क्र.सं	महत्वपूर्ण बिन्दु	
1	गत माह तक निरीक्षणकर्ताओं द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में दिये गये निर्देश एवं इनकी नवीनतम कियान्वयन स्थिति	
2	कार्यालय प्रबंधन	<ol style="list-style-type: none"> 1. स्वीकृत पद/ कार्यरत पद 2. कार्मिकों की कार्य दक्षता 3. कार्य निपटारण के प्रति समर्पण भाव 4. आद्यशक्ति अव्य संसाधन 5. रिकार्ड का संधारण
3	वित्तीय प्रबंधन	<ol style="list-style-type: none"> 1. सामग्री क्रय 2. श्रम भुगतान 3. वेतन आदि 4. याम पंचायतों को उपलब्ध करवाया गये रियोलिंग फण्ड की स्थिति।

२१/१८

		<p>5. राशि समायोजन</p> <p>6. राशि की समग्र उपलब्धता</p> <p>7. पोस्ट ऑफिस एवं बैंक के साथ आपसी मिलान</p>
4	तकनीकी प्रबंधन	<p>1. मासिक लक्ष्यों के अनुसार निरीक्षण</p> <p>2. समय पर कार्यों का निरीक्षण</p> <p>3. तकनीकी मार्गदर्शन,</p> <p>4. मूल्यांकन</p> <p>5. कार्यों को समय पर पूरा करवाना</p> <p>6. विवादित कार्य</p> <p>7. रिकार्ड का संधारण</p> <p>8. क्या कार्यों के तकनीने मौका देख कर वास्तविक आवश्यकता के अनुसार बनाये जा रहे हैं।</p>
5	श्रमिकों के भुगतान की स्थिति	<p>1. प्रगतिशील कार्यों की संख्या (निरीक्षण दिनांक से पूर्व समाप्त हुए पञ्चवाँ तक)</p> <p>2. कार्यों की संख्या जिनका मूल्यांकन किया जा चुका है</p> <p>3. मूल्यांकित कार्यों से भुगतान जमा कराये जा चुके कार्यों की संख्या</p>
6	कार्यों की भौतिक प्रगति (पंचायत समिति क्षेत्र में कुल प्रारम्भ कार्य एवं पूर्ण कार्यों की समीक्षा)	<p>1. ग्राम</p> <p>2. अन्य कार्यकारी संस्थाएं</p>
7	कार्यक्रम अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायतों के रिकार्ड चेक करने पर पाई गई स्थिति	
8	खण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा मासिक निरीक्षण	
9	ऑन लाईन एमआईएस	

10	रिकार्ड संधारण	
11	वाहन लॉग बुक	
12	सामाजिक अंकेक्षण एवं सूचना का अधिकार	
13	शिकायत रजिस्टर एवं निवारण शिकायत	
14	पारदर्शिता एवं वॉल पेन्टिंग	
15	ग्राम पंचायत के अतिरिक्त अन्य विभागों को आवंटित कार्य एवं हनकी प्रगति	
16	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के निर्माण की प्रगति	1. प.स स्तर 2. ग्रा.प स्तर
17	अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु जैसे	यांचिक कार्य योजना में उपयोगी कार्य लेने की जांच,, सघन निरीक्षण, मोबाइल टीम, रोजगार मांग, रोजगार उपलब्ध कराना, जॉब कार्ड अपडेट कराना, योजना के कियाव्वयन से सम्बन्धित नियांचित रजिस्टरों का संधारण आदि
18	पंचायत समिति स्तर पर नहेगा योजना के सम्बन्ध कियाव्वयन के कम में निरीक्षणकर्ता की स्पष्ट एवं सम्पूर्ण टिप्पणी	
19	लापरवाही/असत्य निष्पत्युक्त कार्मिकों को नामजद करते हुए प्रस्तावित कार्यवाही	

ग्राम पंचायत स्तर पर नरेंगा योजना के कियाक्यायन के सम्बन्ध में कार्यालय के निरीक्षण में समिलित होने वाले महत्वपूर्ण बिन्दु

निरीक्षणकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम	पंचायत का नाम	निरीक्षण दिनांक	वित्तीय वर्ष में अब तक पूर्व निरीक्षणकर्ताओं का विवरण	निरीक्षणकर्ता का नाम व पदनाम	निरीक्षण की दिनांक	निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने की दिनांक

क्र.सं		महत्वपूर्ण बिन्दु
1	गत माह तक निरीक्षणकर्ताओं द्वारा दिये गये निर्देश एवं इनकी नवीनतम क्रियाविति	
2	कार्यालय प्रबंधन	<ol style="list-style-type: none"> स्वीकृत पद/ कार्यरत पद कार्मिकों की कार्य दक्षता कार्य निस्तारण के प्रति समर्पण भाव आवश्यक अन्य संसाधन, डाटा एन्ड्री ऑपरेटर ब्रॉडबैण्ड कंगेक्षन आदि रिकार्ड का संधारण पंचायत का नियमित खुलाना
3	वित्तीय प्रबंधन	<ol style="list-style-type: none"> सामग्री क्य एवं स्टॉक रजिस्टर संधारण श्रम भुगतान वेतन आदि रिवोल्विंग फण्ड रोकड़ बही अपडेशन असेट कम कुमुलेटिव एवं पेण्डीचर रजिस्टर में कार्यवार पाक्षिक व्यय का अंकन राशि समायोजन राशि की समय उपलब्धता
4	तकनीकी प्रबंधन	<ol style="list-style-type: none"> तकनीकी कार्मिकों द्वारा नियमित निरीक्षण तकनीकी मार्गदर्शन,

		3. मूल्यांकन एवं गुणवत्ता 4. कार्यों को समय पर पूरा करवाना 5. विवादित कार्य 6. रिकार्ड का संधारण 7. क्षया तकनीकी अधिकारी ने मौका देख कर तकनीना तैयार किया है
5	श्रमिकों के भुगतान की स्थिति	1. निर्माणाधीन कार्यों की संख्या 2. कार्यों की संख्या जिनका मूल्यांकन किया जा चुका है 3. मूल्यांकित कार्यों से भुगतान जमा कराये जा चुके कार्यों की संख्या
6	कार्यों की भौतिक प्रगति, उपयोगिता एवं गुणवत्ता (कुल अपूर्ण कार्य एवं पूर्ण कार्य)	1. घा.प 2. अन्य कार्यकारी संस्थाएं
7	एमआईएस	
8	रिकार्ड संधारण	
9	सामाजिक अंकेशण एवं सूचना का अधिकार	
10	शिकायतें	
11	पारदर्शिता एवं योंल पेन्टिंग	
12	अन्य महत्वपूर्ण बिल्डु जैसे	वाषिक कार्ययोजना तैयार करना, सघन निरीक्षण, आदि
13	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के निर्माण की प्रगति	
14	अन्य महत्वपूर्ण बिल्डु जैसे	वाषिक कार्य योजना में उपयोगी कार्य लेने की जांच,, रोजगार मांग, रोजगार उपलब्ध कराना, जॉब कार्ड सत्यापन अपडेट कराना, योजना के कियाव्ययन से सम्बन्धित नियारित रजिस्टरों का संधारण आदि
15	ग्राम पंचायत स्तर पर नरेगा योजना के सम्बन्ध कियाव्ययन के कम में निरीक्षणकर्ता की स्पष्ट एवं समय टिप्पणी	
16	लापरवाही/असत्य निष्ठायुक्त कार्मिकों को नामजद करते हुए प्रस्तावित कार्यवाही	

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रुप-3, नरेगा)

क्र.एफ4(29)ग्रामी/नरेगा/निरी/पार्ट-2/09-10

जयपुर, दिनांक 20-1-11

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलेक्टर,
समस्त।

विषय: जिले मे निरीक्षण व्यवस्था को प्रभावी एवं व्यवस्थित करने बाबत-उपखण्ड
अधिकारी के निरीक्षण के मासिक लक्ष्य।

प्रसंग: विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 29.12.09


महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग द्वारा जारी समसंख्यक पत्र दिनांक 29.12.09 के द्वारा विभिन्न अधिकारियों द्वारा प्रतिमाह किये जाने वाले निरीक्षणों के क्रम मे आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये है। जारी निरीक्षण प्रपत्र मे उपखण्ड अधिकारी (ब्लॉक कार्डिनेटर) का नाम त्रुटिवश रह जाने के कारण उक्त आदेश के निरन्तर मे उपखण्ड अधिकारी (ब्लॉक कार्डिनेटर) द्वारा मासिक निरीक्षण हेतु निम्न निर्देश जारी किये जाते है :—

क्र.सं.	बाज अधिकारी	माह मे किये जाने वाले व्यूबतम विरीक्षणों की संख्या	विरीक्षण रिपोर्ट जहाँ प्रस्तुत की जानी है	विशेष विवरण
1	उपखण्ड अधिकारी (ब्लॉक कार्डिनेटर) जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक	15 कार्य (एक ग्राम पंचायत में अधिकतम 3 कार्य)	जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस। प्रतिलिपि अति जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस को सूचनाय	प्रत्येक माह एक ग्राम पंचायत कार्यालय मे बरेगा की समस्त वर्क फ़ाइल, सामग्री क्रय, बरेगा रोकड बही, सूचना प्रदर्शन, रिवोलरिंग फ़ाइल एवं विलीय अनुसारन, बरेगा कार्यो के असेट कम कुमुलेटिव एक्सप्रेस्ट्रीचर रजिस्टर का पालिक अपडेशन एवं पंचायत कार्यालय के विधिमित खुलबे सम्बन्धी बिन्दुओं सहित विस्तृत विरीक्षण किया जावे। प्रत्येक तिमाही मे एक बार कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस के कार्यालय का उक्त बिन्दुओं पर विरीक्षण किया जावे।

निरीक्षण प्रपत्र की प्रतियां पूर्व मे संलग्न कर भिजवाई जा चुकी है। अन्य दिशा निर्देश यथावत रहेंगे।

मवदीय



(सी.एस.राजन)
प्रमुख शासन सचिव